

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3425
दिनांक 20.03.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम के अंतर्गत बिहार में नल-जल कनेक्शन

3425. श्री सुधाकर सिंहः

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों को प्रदान किए गए नल से जल कनेक्शनों की संख्या कितनी है तथा बिहार में, विशेष रूप से बक्सर जिले में, इस संबंध में जिला-वार कितनी प्रगति हुई है;
- (ख) बिहार में ग्रामीण पेयजल आपूर्ति में सुधार के लिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत अब तक कुल कितनी धनराशि आवंटित और उपयोग की गई है;
- (ग) बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में नल-जल कनेक्शन और पेयजल आपूर्ति की वर्तमान स्थिति क्या है तथा सरकार का बक्सर और कैमूर जैसे जिलों में शत-प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित करने का कब तक विचार है;
- (घ) क्या बिहार में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन में कोई विलंब या चुनौतियां हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है तथा परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं; और
- (ङ) बिहार में, विशेषकर भूजल की कमी और संदूषण की समस्या से जूझ रहे क्षेत्रों में जल की गुणवत्ता और दीर्घकालिक पेयजल की निरंतर आपूर्ति बनाए रखना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क): भारत सरकार देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए अगस्त 2019 से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम) कार्यान्वित कर रही है। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी

और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है। बिहार राज्य सरकार द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर सूचित किए गए अनुसार, 15.08.2019 तक, केवल 3.16 लाख (1.89%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। तब से, 1.57 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 17.03.2025 तक, 1.68 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 1.60 करोड़ (95.71%) परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है। बक्सर जिले सहित नल जल कनेक्शनों का जिला-वार व्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ख): जेजेएम के तहत, राज्य को 2019-20 और 2020-21 के दौरान केंद्रीय अनुदान जारी किया गया था। इसके बाद, राज्य ने अपने पत्र दिनांकित 28.08.2021 के माध्यम से सूचित किया था कि जेजेएम के तहत धन की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसके अलावा, तत्कालीन माननीय पीएचई मंत्री, बिहार सरकार ने अपने पत्र दिनांकित 18.10.2021 के माध्यम से यह भी सूचित किया कि राज्य में जेजेएम के तहत कोई योजना प्रस्तावित नहीं है। पिछले पांच वर्षों (2019-20, 2020-21, 2021-22, 2022-23 और 2023-24) तथा चालू वित्त वर्ष 2024-25 (17.03.2025 तक) के दौरान निधि आवंटन, आहरित निधि और बिहार द्वारा संसूचित किए गए निधि उपयोग का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रु. में)

वर्ष	केंद्रीय					राज्य हिस्से के तहत व्यय
	अथ शेष	आवंटन	आहरित निधि	उपलब्ध निधि	संसूचित उपयोग	
2019-20	313.16	787.31	417.35	730.51	473.33	150.34
2020-21	257.18	1,839.16	353.60	610.78	551.82	374.42
2021-22	58.95	6,608.25	0.00	58.95	4.00	336.79
2022-23	54.95	4,766.90	0.00	54.95	0.00	66.19
2023-24	54.95	0.00	0.00	54.95	0.00	0.00
2024-25*	54.95	0.00	0.00	54.95	0.00	0.00

स्रोत: जेजेएम-आईएमआईएस

*17.03.2025 तक

(ग): 17.03.2025 तक, बिहार राज्य ने जेजेएम-आईएमआईएस पर नल जल कनेक्शन वाले 95.71% परिवारों की सूचना दी है। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सूचित किया है कि दिसंबर 2025 तक बक्सर और कैमूर के ग्रामीण परिवारों सहित सभी ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान कर दिए जाएंगे।

(घ): बिहार राज्य सरकार ने सूचित किया है कि पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं के निष्पादन में मुकदमेबाजी की चुनौतियों के कारण राज्य में जल आपूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलंब हुआ है। इस मुद्दे के समाधान के लिए, राज्य सरकार समय पर परियोजना कार्यपूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए योजना की नियमित रूप से निगरानी कर रही है।

(ङ): राज्य सरकार ने सूचित किया है कि अन्य विभागों के साथ तालमेल करके जल स्रोत के दीर्घावधि स्थायित्व के लिए विभिन्न उपाय किए जा रहे हैं। इनमें से कुछ उपायों में तालाबों, अहर-पाइन जैसी जल भंडारण संरचनाओं का पुनरुद्धार, कुओं का नवीकरण, सोख्ता गड्ढों आदि का निर्माण, पहाड़ी क्षेत्रों की छोटी नदियों/नालों और जल भंडारण क्षेत्रों में चेक बांधों तथा अन्य जल भंडारण संरचनाओं का निर्माण, भवनों की छत के वर्षा जल संचयन हेतु संरचनाओं का निर्माण, नए जल स्रोतों का सृजन, सघन वृक्षारोपण और मांग पक्ष के उपाय जैसे कि भूजल की खपत को कम करने के लिए जैविक खेती, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई आदि जैसी वैकल्पिक कृषि विधियों का उपयोग शामिल है।

पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता की निगरानी 01 राज्य प्रयोगशाला, 38 जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं तथा 75 उप मंडल प्रयोगशालाओं के माध्यम से सभी पेयजल स्रोतों से जल के नमूनों की नियमित अंतराल पर जांच करके तथा संदूषण की सूचना मिलने पर उपचारात्मक कार्रवाई करके की जा रही है।

दिनांक 20.03.2025 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं 3425 के उत्तर के भाग (क) में
उल्लिखित अनुबंध

क्र. सं.	जिला	कुल ग्रामीण परिवार	15.08.2019 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार		17.03.2025 तक नल जल कनेक्शन वाले ग्रामीण परिवार	
			संख्या (#)	%	संख्या (#)	%
1.	अररिया	5,66,348	34,583	6.16	5,59,731	98.83
2.	अरवल	1,23,056	3,356	2.53	1,22,064	99.19
3.	औरंगाबाद	3,93,965	1,014	0.21	3,81,571	96.85
4.	बांका	3,25,875	6,654	1.70	3,25,310	99.83
5.	बेंगूसराय	4,95,953	1,666	0.26	4,79,158	96.61
6.	भागलपुर	4,36,737	7,272	1.45	4,20,824	96.36
7.	भोजपुर	3,91,365	4,345	1.24	3,84,358	98.21
8.	बक्सर	2,56,587	1,927	0.80	2,52,354	98.35
9.	दरभंगा	7,37,499	13,212	1.61	6,29,774	85.39
10.	गया	5,94,001	10,239	1.59	5,76,659	97.08
11.	गोपालगंज	3,85,187	6,230	1.60	3,80,294	98.73
12.	जमुई	2,38,038	4,522	1.20	2,34,818	98.65
13.	जहानाबाद	1,75,299	7,317	4.38	1,73,347	98.89
14.	कैमूर (भम्भुआ)	2,84,185	6,529	2.71	2,80,996	98.88
15.	कटिहार	5,28,501	42,190	7.80	5,22,302	98.83
16.	खगरिया	2,62,675	1,950	0.61	2,62,675	100
17.	किशनगंज	2,79,161	8,333	2.84	2,70,981	97.07
18.	लखीसराय	1,70,075	3,784	2.36	1,65,157	97.11
19.	मधेपुरा	3,81,245	4,037	0.91	3,81,245	100
20.	मधुबनी	8,73,925	5,848	0.59	6,99,473	80.04
21.	मुंगेर	1,80,345	6,729	3.28	1,72,603	95.71
22.	मुजफ्फरपुर	7,70,017	2,585	0.29	7,36,719	95.68
23.	नालंदा	5,15,952	50,506	12.53	5,08,427	98.54
24.	नवादा	3,07,851	6,434	1.83	3,04,535	98.92
25.	पश्चिमी चंपारण	5,44,364	6,499	0.94	5,35,619	98.39
26.	पटना	6,62,233	4,721	0.77	6,39,764	96.61
27.	पूर्वी चंपारण	9,04,131	3,321	0.35	8,34,706	92.32
28.	पूर्णिया	5,29,037	13,321	2.19	5,11,430	96.67
29.	रोहतास	4,32,866	3,117	0.83	4,22,582	97.62
30.	समस्तीपुर	8,17,325	2,101	0.33	8,04,420	98.42
31.	सारन	5,68,566	14,741	2.42	5,58,368	98.21
32.	सहरसा	3,31,874	1,366	0.41	2,55,123	76.87
33.	शेखपुरा	1,06,129	22	0.03	1,06,129	100
34.	शिवहर	1,45,443	6,080	3.60	1,37,161	94.31
35.	सीतामढ़ी	5,23,375	13,687	1.61	5,03,216	96.15
36.	सिवान	4,76,365	3,678	0.69	4,63,184	97.23
37.	सुपौल	4,10,868	1,726	0.37	4,10,529	99.92
38.	वैशाली	6,28,623	749	0.12	6,28,111	99.92
कुल		1,67,55,041	3,16,391	1.89	1,60,35,717	95.71